कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्रांकः – 1549 / ख0अनु0–गाजि0 / बालू–ई–निविदा / 23–24 दिनांकः 17/11/2023

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 781 / 86– 2020–14(सा0) / 2020 दिनांक 23.05.2020 एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियमों के अर्न्तगत प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू / मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि पर व्यवस्थित किया जाना है, जिसके कम में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतू निम्नांकित क्षेत्र को उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा **दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 08.12.2023** तक ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1– क्षेत्र का विवरण :–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जियो कोआर्डीनेट्स			उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित / आंकलित उपखनिज की मात्रा (घन मी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर x निर्धारित / आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
						अक्षांस	देशांतर				
1	लोनी	नौरसपुर	1	1.81 हे0	A	28° 49' 35.00"	77° 13' 29.82"	साधारण बालू	22622	14,70,430.00	7,35,215.00
					B	28° 49' 29.02"	77° 13' 29.47"				
					C	28° 49' 21.50"	77° 13' 22.48"				
					D	28° 49' 21.82"	77° 13' 21.81"				
					E	28° 49' 30.22"	77° 13' 27.75"				
					F	28° 49' 34.87"	77° 13' 27.76"				

2. ई–निविदा की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी।

ई–निविदा आमंत्रण	**दिनांक 01.12.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 08.12.2023 को सायं 05.00 बजे तक**
मूल अभिलेख को जमा करने का स्थान व समय	**कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) गाजियाबाद, कमरा नं0 304 दिनांक 13.12.2023 को सायं 5.00 बजे तक**
ई–निविदा को खोलने का दिनांक व स्थान	**कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद में दिनांक 14.12.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे से**

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) 06 माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी गाजियाबाद के पक्ष में, जहॉं वह खनन क्षेत्र स्थित है, के अग्रिम के रूप में दी जायेगी।
4. **ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये मौके पर निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बंध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा प्रकिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–
   (क) ई–निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स / कन्ट्रेक्टर्स / बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–।।। का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
   (ख) इच्छुक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा।

पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बंधित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

प्रारूप–2 की सूचनायें :–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0 नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2000/– का चालान संख्या व दिनांक।

च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक।

छ. पैन कार्ड का कमांक।

ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहॉ से जारी किया गया हो।

झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :–

क. ई–निविदा की प्रकिया में भाग लेने हेतु रू0 2000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैन कार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बंधित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अर्न्तगत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक सम्बंधित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण अनापत्ति को प्राप्त नहीं है, उनके सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा–पत्र धारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बंध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

15. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरक्त शर्तो का निर्धारण सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

18. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा जिलाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

19. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

20. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

21. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।

22. नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बंध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा किया जायेगा।

23. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त ही खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

24. अनुज्ञा पत्र धारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

अन्य नियम एवं शर्तेः–

1. खनन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की मात्रा एवं पहुँच मार्ग का सत्यापन के उपरान्त ही ई–निविदा प्रक्रिया में आवेदक भाग लेंगे। ई–निविदा के प्रकिया के पश्चात कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
2. खनन हेतु खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग बनाने की जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी।
3. खनन अनुज्ञा पत्र धारक को निजि कास्तकार की भूमि होने की दशा में उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 68 के अधीन प्रतिकार देने की जिम्मेदारी होगी।
4. सिंचाई विभाग को क्षतिग्रस्त सड़क एवं शैंक की मरम्मत पुर्नस्थापना हेतु खनन अनुज्ञा पत्र धारक को मरम्मत होने वाले व्यय की धनराशी हैंड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला सिंचाई विभाग उ0प्र0 को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।
5. खनन अनुज्ञा पत्र धारक अलीपुर तटबन्ध से 600 मीटर से अधिक दूरी पर ही खनन कार्य करेंगे।
6. खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन कार्य करते समय यातायात में कोई असुविधा न हो इसका पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC), लखनऊ।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC), गाजियाबाद।
8. उपजिलाधिकारी सदर/मोदीनगर/लोनी को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
(खनन अनुभाग)

पत्रांकः –1550 / ख0अनु0–गाजि0 / बालू–ई–निविदा / 2023–24 दिनांकः 17/11/ 2023

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1875 / 86–2017–57 (सामान्य) / 2017 टीसी–1 दिनांक 14.08.2017 एवं शासनादेश संख्या 781 / 86– 2020–14(सा0) / 2020 दिनांक 23.05.2020 एवं शासनादेश संख्या 782 / 86–2020–14(सा0) / 2020 दिनांक 26.05.2020 के अर्न्तगत प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू / मोरम, बजरी आदि के खनन क्षेत्रों को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि पर व्यवस्थित किया जाना है तथा शासनादेश दिनांक 23.05.2020 व 26.05.2020 में उल्लिखित है कि **नदी तल स्थित उपखनिजों के निष्क्रिय खनन पट्टों को निरस्त कर तथा पूर्व में निरस्त किये गये खनन पट्टों से उत्पन्न रिक्त क्षेत्रों को उपखनिज की उपलब्धता को दृष्टिगत अल्प अवधि अनुज्ञा (अवधि 06 माह) के लिये व्यवस्थित किया जाये तथा यह भी उल्लेख है कि जनमानस एवं विकास कार्यो हेतु खनिज की आपूर्ति समुचित दर पर सुनिश्चित करने, खनन उद्योगों को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर में वृद्धि करने हेतु खनन क्षेत्रों पर तत्काल खनन संक्रिया प्रारम्भ कर अवैध खनन पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक** के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा **दिनांक 01.12.2023 से 08.12.2023** तक निम्नांकित क्षेत्र के लिये ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1– क्षेत्र का विवरण :–

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जियो कोआर्डीनेट्स			उपखनिज का नाम	खनन योग्य निर्धारित / आंकलित उपखनिज की मात्रा (घन मी0 में)	आधार मूल्य (रायल्टी दर x निर्धारित / आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
						अक्षांस	देशांतर				
1	लोनी	नौरसपुर	1	1.81 है0	A	28⁰ 49' 35.00"	77⁰13' 29.82"	साधारण बालू	22622	14,70,430.00	7,35,215.00
					B	28⁰ 49' 29.02"	77⁰13' 29.47"				
					C	28⁰ 49' 21.50"	77⁰13' 22.48"				
					D	28⁰ 49' 21.82"	77⁰13' 21.81"				
					E	28⁰ 49' 30.22"	77⁰13' 27.75"				
					F	28⁰ 49' 34.87"	77⁰13' 27.76"				

2. ई–निविदा की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी।

ई–निविदा आमंत्रण	**दिनांक 01.12.2023 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 08.12.2023 को सायं 05.00 बजे तक**
मूल अभिलेख को जमा करने का स्थान व समय	**कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) गाजियाबाद, कमरा नं0 304 दिनांक 13.12.2023 को सायं 05.00 बजे तक**
ई–निविदा को खोलने का दिनांक व स्थान	**कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद में दिनांक 14.12.2023 को अपराह्न 3.00 बजे से**

ई–निविदा की कार्यवाही ई–टेण्ड पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर सम्पादित की जायेगी। निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रकिया एवं शर्तो की जानकारी निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग), गाजियाबाद, कमरा नं0 304 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

पत्र सं0 एवं दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को विज्ञप्ति की 05 प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति को 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Signature Not Verified
Digitally signed by UTKARSH TRIPATHI
Date: 2023.12.01 17:16:16 IST
Location: Uttar Pradesh-UP